

# राष्ट्र निर्माण में बहुलवर्ग: संकल्पनाएँ एवं परिणति

## साकेत बिहारी

जब नागरिक पर्याप्त मूल्यों प्राथमिकताओं एवं संवादों को साझा करते हैं, तब राष्ट्र निर्माण का विकास होता है। इसके अर्न्तगत लोगों के अंदर समरूपता का विकास, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था से किया जा सकता है। राष्ट्र निर्माण में नागरिक हितों, लक्ष्यों एवं वरीयताओं की पर्याप्त मात्रा समानता को महसूस कराती है। राष्ट्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों के साथ समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता एवं अखंडता के भाव का प्रवाह होना आवश्यक है। इसे नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाकर प्राप्त किया जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 74 वर्षों के बाद भी आपेक्षित सामाजिक-आर्थिक स्थिति में वांछित बदलाव नहीं आया है। विभिन्न राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय शोध संदर्भों से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन, अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति, अनुसूचित जन जातियों की स्थिति में अनुकूल परिवर्तन, निर्बल वर्गों का विशेष विकास एवं युवाओं को रोजगार आदि मुद्दे अभी भी मानक स्तर पर नहीं पहुँच पाए हैं आवश्यकता इस बात की है कि देश में संदर्भ मूलक विशिष्टताओं का आंकलन व चुनाव कर स्थानीय स्तर की मदद से प्रभावकारी सुशासन स्थापित किए जाएं ताकि विकास समन्वित, उर्ध्वमुखी, समतामूलक, न्यायिक एवं वांछित हो सके। विदित हो कि सरकारी नीतियों ने बहुत हद तक असमानता एवं समानता के बीच सेतु जैसा कार्य किया है। कल्याणकारी राज्य एवं बेहतर प्रशासन अपने नवीन व नवाचारपूर्ण प्रबंधन से लोकहितों के बहुमुखी संरक्षा एवं सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। यह भी न्याय संगत एवं तर्क संगत है कि संपोषित विकास के मानदंड नित उर्ध्वमुखी परिवर्तन को प्राप्त कर रहे हैं। अतः प्रशासनिक गुणात्मकता को भी परिवर्तित मानदण्डों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करना होगा।

## प्रस्तावना

यह विशेष अवलोकन भारत के निर्माण की श्रृंखला में विभिन्न वर्गों के सक्रिय भागीदारी के लिए संकल्पित है। इसके अंतर्गत युवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निर्बल लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का जायजा प्रस्तुत है जिनके विकास में सरकारी योजनाओं एवं सर्वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख सम्मिलित है। संदर्भों के सुपष्टता एवं अन्तर्राष्ट्रीय मापकों की आख्या लेते हुए यह विश्लेषण सरकारी नीतियों के अनुपालन में सार्थक प्रयासों की अभिव्यक्ति देता है। कमजोर एवं दुर्बल लोगों का सशक्तीकरण एवं सामाजिक न्याय का प्रवाह ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। यद्यपि राष्ट्र निर्माण की श्रृंखला में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नृजातीय सोपानों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, तथापि गुणात्मक जीवनशैली में अभिवृद्धि सौहार्द एवं अन्य समरसता मूलक संकेतांकों को त्वरित करता है।

यद्यपि राष्ट्र निर्माण एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, तथापि इसके लिए उत्तरदायी कारण अनेक हैं। राष्ट्र निर्माण को शक्तिशाली बनाने वाले कारकों के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि जब तक समग्रतापूर्ण विकास न सुनिश्चित हो, राष्ट्र निर्माण को अनन्य प्रेरक प्रसंगों से निर्णायक रूप से प्रभावित होना पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत सभी लोगों का साथ ही सभी के विकास को सुनिश्चित कर सकेगा। यद्यपि यह बीज मंत्र राष्ट्र निर्माण योजना को अपने प्रभाव में समेटता है, तथापि इसकी परिधि की व्यापकता किंचित संकीर्णताओं की शिकार भी होती है। इन संकीर्णताओं से मुक्ति प्राप्त करने हेतु नाना प्रकार की सरकारी योजनाएँ कार्यकारी रूप से अनवरत अस्तित्व में हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, महात्मागांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, मिड डे मिल स्कीम, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन स्कीम, लोक वितरण व्यवस्था इत्यादि। ये योजनाएँ लोक उत्थान एवं गरीबी-उन्मूलन के संदर्भ में रीढ़ की हड्डी के रूप में अर्थपूर्ण ढंग से अपने कार्यों को संपादित कर रही हैं। इनका राष्ट्र निर्माण की योजना के अंतर्गत बहुत ही सार्थक महत्व है। सच तो यह भी है कि कोई भी एक योजना, गरीबी-उन्मूलन के अंतर्गत सफल नहीं हो सकती क्योंकि भारत में गरीबी की प्रकृति बहुआयामी है। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान राज्य की शक्ति के प्रयोग से स्थायी होता है। राष्ट्र निर्माण में लोगों का एकीकरण राज्य के अन्तर्गत होता है ताकि राज्य राजनीतिक रूप से स्थिर व संभावनाओं के साथ दीर्घकालिक हो सके। समय के बदलाव के साथ, हमारे राष्ट्र में नाना प्रकार की प्रतिरोधक शक्तियाँ भी उजागर हो रही हैं। यदि इन शक्तियों का शमन राज्य द्वारा नहीं किया गया तो राष्ट्र निर्माण योजना को प्रतिकूल फल मिलेंगे क्योंकि बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति 'लोक' को 'तंत्र' के नजदीक आने पर ही संभव हो सकेगा। राष्ट्र निर्माण योजना की

प्रासंगिकता आज के माहौल में अत्यंत आवश्यक हो गई है क्योंकि संप्रति सरकार लोक कल्याण को केंद्रीय विषय-वस्तु के रूप नीतियों में निहित करने के लिए संकल्पित है। केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में अनेक लक्ष्यपरक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं की सफलता और मौलिकता नागरिकों को सर्वदा नजदीक लाने से है। विदित हो कि शिक्षा के प्रारूप को भी कौशल के साथ जोड़कर देखा जाने लगा है। सच तो यह है कि 18 वर्ष से ऊपर के मानव संसाधन का सदुपयोग कौशल में गुणवत्ता के साथ अत्यधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कौशल एक श्रेष्ठ प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों को दक्षता को बाजार अनुकूल ढाला जा सकता है ताकि जीवन निर्वाह में स्वावलंबन का अवलंबन युवा वर्ग को प्राप्त हो सके।

### 1. राष्ट्र निर्माण योजना और रोजगार

रोजगार की उपलब्धता राष्ट्र निर्माण योजना को प्रेरित करती है। रोजगार का संबंध श्रम से है। 2018-19 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कार्यबल की संख्या लगभग 51.8 करोड़ थी जिसमें 58.8 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। इसमें 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के मध्य श्रमिक कार्यबल में 0.85 करोड़ की अभिवृद्धि दर्ज की गई। इसमें 0.46 करोड़ लोग शहरी एवं 0.39 करोड़ ग्रामीण हैं। श्रमिक कार्यबल में लैंगिक बढ़ोत्तरी के परिप्रेक्ष्य में 0.64 करोड़ पुरुष 0.21 करोड़ महिलाएँ भागीदार थी। श्रमिक कार्यबल के प्रारूप में 1.64 करोड़ की वृद्धि हुई, जिनमें से 1.22 करोड़ ग्रामीण और 0.42 करोड़ शहरी से हैं। श्रमिकों में 0.92 करोड़ महिलाएँ तथा 0.72 करोड़ पुरुष सम्मिलित हैं। इन श्रमिक बल में सबसे अधिक 21.5 करोड़ लोगों को कृषि में रोजगार मिला अर्थात् कृषि संपूर्ण क्षेत्रों में 42.5 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करता है। परंतु 2021 के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि भारत में रोजगार लोगों की संख्या 5.3 करोड़ रही। इनमें महिलाओं की संख्या 1.7 करोड़ हैं, घर बैठे लोगों में उनकी संख्या अधिक है जो अनवरत कार्य के तलाश में हैं। सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त प्रवृत्ति से ये सुस्थापित होता है कि 5.3 करोड़ बेरोजगार लोगों में से 3.5 करोड़ लोग लगातार कार्य के तलाश में है। इनमें करीब 80 लाख महिलाएँ शामिल हैं।

बेरोजगारी की स्थिति का पता चलने पर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्र निर्माण की कार्यकारी अभिवृद्धि बेरोजगारी से इसलिए भी प्रभावित हो रही है क्योंकि सभी लोगों की भागीदारी राष्ट्र निर्माण में आवश्यक रूप से नहीं हो पा रहा है।

### 2. राष्ट्र निर्माण एवं युवाओं की भूमिका

युवा राष्ट्र निर्माण का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक ढाँचा है जो उसके द्वारा किए गए क्रियाशील भागीदारी पर निर्भर करता है। राष्ट्र का विकास युवाओं के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। आज का युवा राष्ट्र के कल का स्थिति को प्राकार देने के लिए प्रतिबद्ध सा दिखता है। सचमुच, युवा राष्ट्र निर्माण में एक प्रेरक कड़ी है। राष्ट्र

निर्माण का सही अर्थ युवाओं के चरित्र निर्माण से है। 12 वीं योजना के अर्न्तगत भविष्य को मजबूत करने के लिए भविष्य की प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए कौशल विकास प्रणाली को पीपीपी मॉडल पर बढ़ावा दिया जाना है। राष्ट्रीय कौशल फ्रेमवर्क को लागू करना, संस्थागत संरचना को मजबूत करना, क्षेत्रीय इक्विटी में वृद्धि दर्ज करना आदि भी सम्मिलित है। तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ युवाओं के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पहला, युवाओं को कौशल विकास के अवसरों से लाभान्वित करना। दूसरा, स्पष्ट रूप से युवाओं के भविष्य निर्माण में हितधारकों को परिभाषित करना। तीसरा, सिस्टम और हितधारकों के बीच इंटरलिंगेज का निर्माण करना। चूँकि देश की तकरीबन 27.5 प्रतिशत आबादी युवा है, इनका विकास समग्रतापूर्ण ढंग से होना चाहिए। साथ ही साथ, भारत की जनांकीय चुनौतियों को अवसर में भी परिणित किया जाना भी अवश्यम्भावी है। युवाओं के दक्षता व कौशल में विकास के लिए निर्देशात्मक स्तर पर अध्ययन को प्रभावी बनाने के बाद ही नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर युवाओं के कल्याण के लिए अभिनव प्रबंधन की भी आवश्यकता पर जोर दिया जाना आवश्यक है।

समाज के सदस्य विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से युवा शक्ति को प्रभावित करते हैं। किसी दिए गए समाज में प्रचलित राजनीतिक क्रियाओं के प्रकार उन तरीकों से संबंधित होते हैं जिनसे संस्कृति अपने मौलिक मुद्दों को संबोधित करती है। इनके अर्न्तगत संघर्ष तथा मौलिक मुद्दों से संबंधित व्यवस्था का भी समाधान होता है (इन्केंलस एवं लेविंसन, 1969)। समाज के अर्न्तगत घटित होने वाली प्रक्रियाएँ सामाजीकरण की दशा व दिशा निर्धारित करती हैं। सामाजीकरण सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। समाज के अर्न्तगत अत्यधिक सामाजिक दूरी भी युवा के सर्वांगीण विकास में बाधक होता है (हॉफ स्टेट, 1991)। यदि लोकतंत्र को सुदृढ़ रहना है तो जन भागीदारी द्वारा न केवल सुशासन की स्थापना के लिए अनिवार्य है, अपितु विकास की गति को तीव्र भी करना आवश्यक है। नागरिकों के रुचियों, प्राथमिकताओं एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीति संगत कार्यक्रमों को चलाया जाना चाहिए। संस्थागत राजनीतिक भागीदारी भी अनेक गतिरोधों को समाप्त करने में सहायक है। विरोधी ध्वनियों की श्रव्यता, सुशासन को प्रवेगित कर सकता है (क्लंडरमैन, 1984)। यदि लोक ध्वनि पर ध्यानपूर्वक मंथन न किया गया तो राष्ट्रवादी संकल्पना का सूत्रपात समांतर कष्टकारक हो सकता है। इतिहास साक्षी है कि ब्रिटिश राजनीतिक और आर्थिक शोषण के प्रभाव के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की क्षति नव राष्ट्रवाद का कारण बना (देसाई, ए.आर. 1949)। स्थानीय दक्षताओं, कुशलताओं एवं उपलब्ध ज्ञान का यदि सार्थक और फलदायी प्रयोग किया जाए तो न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में नवाचार का संचार होगा बल्कि बेरोजगारी से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

### 3. राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका

भारत की जनसंख्या में करीब 48 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। यदि नारी शक्ति के महत्व का बोध नहीं किया गया तो राष्ट्र निर्माण एक दिवा स्वप्न बनकर रह जाएगा। सच तो यह है कि जब-जब समाज में जड़ता आयी है, नारी शक्ति ने आगे आने वाली संतति के माध्यम से नवीनता का बीज मंत्र फूँका है। आगे भी, महिलाओं को पुरुष की भांति विकास यात्रा में शामिल होना प्रासंगिक है और यथोचित भी। यह उदाहरणार्थ है कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा रोजगार व आर्थिक प्रक्रिया में योगदान देकर महिलाओं ने अपनी क्षमता का अभूतपूर्व बोध कराया है। भारत सरकार की नीतियों में महिलाओं को देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव को दूर करने लिए कानूनी प्रणाली एवं सामुदायिक विकास प्रणाली को भी यथोचित प्रश्रय दिया जाना अपेक्षित है। समाज में महिलाओं ने प्रासंगिक भूमिका का निर्वहन किया है। महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा में अपेक्षित अभिवृद्धि हुई है। स्थानीय एवं प्रशासन के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़ी है। परंतु महिलाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण कुछ मनोवैज्ञानिक भ्रम का शिकार है। पुरुषत्व का भाव श्रेष्ठता के साथ होना उस भ्रम की परिणति है। आज महिलाओं के मुद्दों पर संवेदनशील एवं परिपक्व होने की आवश्यकता है। साक्षर एवं शिक्षित भारत में बालिका भ्रूण हत्या और अवनति भेदभाव जैसे भ्रम के उदाहरण हैं। यदि समाज इन भ्रमों को मिटा दे तो लैंगिक अनुपात में असमानता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। देश के तकरीबन 39 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या में एक चौथाई ही महिलाओं की भागीदारी है। वास्तव में, महिलाएँ त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। अस्तु, महिलाओं को आगे लाने एवं उनकी हिस्सेदारी कार्यशील जनसंख्या में बढ़ाने के लिए और अधिक सरकारी उपायों की आवश्यकता है। यद्यपि उपायों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, तथापि इनके प्रसार की लोच को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण राष्ट्र निर्माण योजना को अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।

### 4. अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग

भारत के संविधान में अनुसूचित जाति को अनुच्छेद 366 (24) में परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जातियाँ वे स्वतंत्र जातियाँ हैं जिन्हें एक समय में समाज से बाहर, अस्पृश्य या अछूत, दलित या हरिजन कहा जाता था। वास्तव में इन जातियों को अनुसूचित करने का मुख्य उद्देश्य समाज में होने वाले भेदभाव को समाप्त करना था। दूसरी तरफ, अनुसूचित जन जातियों वे हैं जो आदिवासी समुदाय या आदिवासी जाति और आदिवासी समुदायों की भाग मानी जाती हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति माना गया है। तीसरी तरफ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 16 (4) और 340 (1) में पिछड़ा वर्ग का उल्लेख मिलता है। पिछड़ा

वर्ग का अभिप्राय समाज के उन वंचित वर्गों से है जो सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण समाज के अन्य वर्गों की तुलना में निचले स्तर पर है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 8.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। अनुमान के अनुसार करीब 41 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग है। Globle Multidimensiond Poverty Index (GMPI) के अनुसार पाँच व्यक्ति, छह व्यक्तियों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में से गरीब है। बहुआयामी गरीबी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग में सर्वाधिक है। 50.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों में, 33.3 प्रतिशत अनुसूचित जातियों में एवं 27.2 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग में गरीबी आँकी गई है। सच तो यह है कि 2015 में निर्मित 5DG लक्ष्यों के अनुकूलन में गरीबी को समाप्त करना निर्दिष्ट है। उपरोक्त आंकलन का आधार स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवनशैली के गुणवत्ता पर केंद्रित है। स्वास्थ्य में पोषण एवं बाल मृत्यु दर निहित है। शिक्षा में स्कूली वर्ष एवं स्कूल में उपस्थिति उल्लेखित है। साथ ही साथ गुणात्मक जीवन स्तर को खाना बनाने का ईंधन, साफ-सफाई, पेयजल, बिजली, घर तथा संपत्ति द्वारा इंगित किया गया है। अस्तु, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को भागीदार बनाने के लिए GMPI द्वारा निश्चित फलनात्मक स्तम्भों के लिए विशेष नीति निर्मित कर उनके अनुपालन को अवश्यम्भावी बनाना होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुकूल भी होगा क्योंकि इसके अंतर्गत राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों के विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखने के लिए बचनबद्ध है। इसके संदर्भ में नाना प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सरकार अनेकानेक कदम उठा रही है जिसे ये समुदाय सबल एवं मुख्यधारा से जुड़ जाएं। इनके संबंध में जानकारी 'भारत का राष्ट्रीय पोर्टल' पर भी उपलब्ध है। विदित हो कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' लक्ष्य प्राप्ति हेतु करीब 203 नवीन योजनाएँ समर्पित हैं जिनमें महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य निर्बल वर्गों के कल्याण का उचित महत्व दिया जाना उल्लेखित है।

इस प्रकार राष्ट्र निर्माण एक सतत चलनेवाली प्रक्रिया है जिसमें काल एवं अवधि के आलोक में संरचनाएँ नवीन करने योग्य हो जाती हैं। सुशासन का राष्ट्र निर्माण से इसलिए भी विशेष संबंध है क्योंकि अच्छी प्रशासन व्यवस्था सार्वजनिक सत्ता तो स्थापित करती ही हैं, साथ ही साथ लोगों को एक राष्ट्रीय संप्रदाय से जोड़ती है। अतः जब तक सामाजिक व्याधियों को समूल नष्ट नहीं किया जाएगा, राष्ट्र निर्माण में उर्जा प्रवाह सम्यक रूप से नहीं हो सकेगा। अंततः राष्ट्र निर्माण में समतामूलक मूल्यों के साथ, सह अस्तित्व व बंधुता सहानुभूतिक संकल्पों आदि में ताल-मेल आवश्यक है। जो पहले से अधिक ऊर्जावान, व्यापक, संपन्न एवं बंधुता से प्रेरित आकांक्षी भारत के सपनों का साकार करेगा।

### संदर्भ

1. Inkeles, A. and D.J. Levinson. 1969. National Character: The study of model personality and socio cultural systems *The Handbook of socialpsychology*, 2 (4), Menlo Park CA: Addison wisley, pp. 418-506.
2. Hofstede, I.G. 1991. Cultures and organisation: Software of the Mind, Londo: Mc Crow-Hill.
3. Klandermans, B. 1984. Molilization and Participations Social Psycholozical Expansions of Resourses Molilization Theroy, American Sociological Review. Vol. 49, pp. 583-600.
4. Desai, A.R. 1949. Social Background of Indian Xlationalism, New York: Oxford University Press.
5. Ladner, J.1971. Tanzanian Women and Nation Building , The Blackscholar, 3 (4), pp. 22-28.
6. UPDP and OPHI. 2021. Global Multidimensional Poverty Index 2021- Unmasking disparities by Ethnicity, Caste and Gender, UN Development Programme and Oxford Poverty and Humen Development Initiative.